इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621] भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 नवम्बर 2018—अग्रहायण 3, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अनुदेशों परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश प्रशासनिक सेवा विभागीय परीक्षा नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.—(क) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ख) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग;

(ग) ''विभागीय परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम में यथा उपबंधित विभागीय परीक्षा;

(घ) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम।

3. **लागू होना**.—ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा के सहायक कलक्टरों तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलक्टरों को लागू होंगे।

4. विभागीय परीक्षा की तारीख और स्थान.-

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा, मध्यप्रदेश संवर्ग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी (जिसे आगे अकादमी कहा जाएगा) में राज्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् संचालित की जाएगी।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए परीक्षाएं परिचयात्मक प्रशिक्षण के तत्काल पश्चात् संचालित की जाएंगी।

(3) विभागीय परीक्षा प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार समुचित समय पर अकादमी में संचालित की जाएगी।

5. विभागीय परीक्षा के विषय.-

(क) विभागीय परीक्षा निम्न विषयों में संचालित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1) प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया।

(2) सिविल विधि एवं प्रक्रिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन।

(3) राजस्व विधि एवं प्रक्रिया- आदेश लेखन।

(4) दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - आदेश लेखन।

(5) प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

(6) हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए)

टीप- ऐसे समस्त अधिकारी गैर हिन्दी भाषी समझे जाएंगे -

(एक) जिन्होंने हाईस्कूल (मैट्रिक) या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से या हिन्दी विषय लेकर उत्तीर्ण नहीं की हो, या

(दो) जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं हो, या

(तीन) जिन्होंने हाईस्कूल (मैट्रिक) या उसके समकक्ष घोषित की गई हिन्दी की कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो ।

6. विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम.-

(1) विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिशिष्ट-अ में वर्णित किया गया है।

(2) **प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)** - यह प्रश्न पत्र प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारी पर आधारित होगा। उक्त आगत से अपनी रूचि के अनुसार चयनित विषय पर केस स्टडी तैयार की जाएगी। जिसका प्रस्तुतीकरण प्रशिक्षण के अंत में किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुतीकरण के सबंध में विस्तृत अनुदेश अकादमी द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित होंगे। इस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

7. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने का स्तर.- उत्तीर्ण होने के लिए निम्नानुसार न्यूनतम अंक अर्जित किए जाने होंगे.-

अनुक्रमांक	विषय एवं प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया	03 घंटे (प्रत्येक भाग के लिए एक घंटा)	150 प्रश्न पत्र के 03 भाग होंगे प्रत्येक भाग के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे ।	प्रत्येक भाग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 अंक
2.	सिविल विधि एवं प्रक्रिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन	03 घंटे (प्रत्येक भाग के लिए एक घंटा)	150 प्रश्न पत्र के 03 भाग होंगे प्रत्येक भाग के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे ।	प्रत्येक भाग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 अंक
3.	राजस्व विधि एवं प्रक्रिया - आदेश लेखन	02 घंटे	100	60

4.	दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - आदेश लेखन	02 घंटे	100	60
5.	प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)	30 मिनट	100	50
6.	हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए)	1 घंटे	100	40

टीप:-

1. दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों में कालम क्रमांक 05 में यथावर्णित उत्तीर्ण अंकों में 15 अंक ग्रेस के दिए जाएंगे। पूर्णत: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा में लेखन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक सहायक की अनुमति दी जा सकेगी, किन्तु ऐसा सहायक, अभ्यर्थी के समकक्ष या अधिक शैक्षणिक योग्यता का नहीं होना चाहिए एवं राजस्व सेवा का शासकीय कर्मी नहीं होना चाहिए। दृष्टिबाधित अभ्यर्शी को प्रत्येक एक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।
2. शासकीय सेवक जो विधि स्नातक हैं प्रश्न पत्र 1 के भाग 3 से छूट रहेगी ।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 10 तथा नियम 5 (क) के अनुसार इन नियमों के पूर्व में संचालित परीक्षाओं के अधीन प्रश्नपत्र-1 या प्रश्नपत्र-2 के एक अधिक भागों में छूट के पात्र हैं उनके लिए शेष भाग/भागों हेतु पूर्णांक के 60 प्रतिशत अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे ।

8 अधिकारियों के लिए वेतनवृद्धियों का विनियमन तथा अनुत्तीर्ण होने पर शास्तियां-

ऐसे अधिकारी, जो प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा यदा-कदा विभिन्न शास्तियों के अध्यधीन हैं, इसके बारे में प्रचलित ब्यौरे, परिशिष्ट -

ख में संलग्न हैं, जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जब कभी आवश्यक हों, संशोधित किए जा सकते हैं।

9. अभिकरण एवं विभागीय परीक्षा का संचालन -

(क) परीक्षा अकादमी द्वारा आयोजित की जाएगी ।

(ख) परीक्षा अकादमी के नियंत्रणाधीन संचालित की जाएगी।

(ग) प्रश्नपत्रों के समूह को प्राप्त करने तथा मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराना एवं परिणाम तैयार कराने का शेष दायित्व प्रशासन अकादमी का होगा ।

(घ) "आदेश लेखन" के प्रश्न पत्र छोड़कर सभी प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। आदेश लेखन के प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में तैयार किए जाएंगे।

(ङ) प्रश्न पत्र क्रमांक 1 एवं 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा शेष प्रश्न पत्र विवरणात्मक प्रकार के होंगे ।

(च) प्रारूपण आदेश के प्रश्न पत्र में 70 प्रतिशत अंक प्रारूपण भाग के लिए, तथा 30 प्रतिशत अंक आदेश से सबंधित प्रश्नों के उत्तरों के लिए होंगे ।

(छ) प्रश्न पत्रों को तैयार किए जाने के दौरान गोपनीयता रखे जाने का सम्पूर्ण दायित्व अकादमी, प्राश्निक (सेटर), पारितूलक (माडरेटर) एवं मूल्यांकनकर्ता (वेल्यूअर) का होगा ।

(ज) अकादमी को परितूलक द्वारा परिवर्तित प्रश्नपत्रों को प्राप्त करने, संशोधन के अनन्य अधिकार होंगे ।

0. इन नियमों से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं के लिए छूट :-

पूर्व परीक्षा अनुसूची में 10 प्रश्न पत्र होते थे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा इनमें से कुछ प्रश्न पत्र उत्तीर्ण कर लिए गए हैं उनके लिए निम्नानुसार छूट दी जाएगी -

पूर्वतर स्कीम में उत्तीर्ण प्रश्न पत्र	नवीन स्कीम में छूट प्राप्त प्रश्न पत्र

राजस्व प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया - प्रथम	प्रश्न पत्र -1 का भाग-1
राजस्व प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया - द्वितीय	प्रश्न पत्र -1 का भाग-2
राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - तृतीय	प्रश्न पत्र - 3
दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - प्रथम	प्रश्न पत्र -1 का भाग - 3
दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - द्वितीय	प्रश्न पत्र - 4
सिविल विधि तथा प्रक्रिया	प्रश्न पत्र - 2 का भाग -1
लेखा एवं वित्त	प्रश्न पत्र - 2 का भाग -2
मध्यप्रदेश स्थानीय स्व-शासन	प्रश्न पत्र - 2 का भाग -3
प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)	प्रश्न पत्र - 5
हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी प्रशिक्षु अधिकारी)	प्रश्न पत्र - 6

परिशिष्ट-क

(विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम)

प्रश्न पत्र - एक

(प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया)

भाग-1 प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया

1. सामान्य पुस्तक परिपत्र	-	भाग-एक अनुक्रमांक 07, भाग दो अनुक्रमांक 02, 05, 07, 21 एवं 22, भाग तीन अनुक्रमांक एक, भाग दो आदि ।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965	-	सम्पूर्ण
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966	-	सम्पूर्ण
4. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम	-	नियम 11, 12 क, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127

भाग-2 राजस्व विधि तथा प्रक्रिया

1. राजस्व पुस्तक परिपत्र	भाग -एक संपूर्ण, भाग दो संपूर्ण, भाग तीन क्रमांक 04, भाग चार, भाग छह क्रमांक 03, भाग छह क्रमांक 04, आदि।
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ।	2, 11, 27, 33, 34, 44, 47, 50, 51, 57, 89, 107, 108, 109, 110, 115,116, 117, 127, 131, 147, 165, 170, 172, 178, 222, 230, 234, 237, 239, 240, 241, 244, 247, 248, 250 आदि ।
3. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013	संपूर्ण भू-अर्जन अधिनियम, 1994, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013.

भाग-3 दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केवल वे धाराएं जो रा.प्र.से/आ.प्र.से. के अधिकारियों के लिए आवश्यक हैं)	➢ लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराध ➢ राज्य के विरूद्ध तथा शत्रुता का संप्रवर्तन आदि के अपराध (धारा 153 क, 153 ख तथा 295 क) ➢ मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ➢ सम्पत्तियों के विरूद्ध अपराध ➢ लोक सेवकों से सबंधित अपराध ➢ झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना एंव लोक न्याय के विरूद्ध अपराध ➢ लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केवल वे धाराएं जो, रा.प्र.से./प्रा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए बहुत आवश्यक हैं)	➢ अनुवीक्षण ➢ विधि विरूद्ध जमाव को तितर-बितर करना (द.प्र.सं धारा 129-132) ➢ लोक न्यूसेंस -सिद्धान्त एवं व्यवहार ➢ आपराधिक विचारण ➢ प्रतिभूति प्रक्रिया (द.प्र.सं अध्याय-आठ धारा 107-124) ➢ स्थावर सम्पति के बारे में विवाद परिशांति भंग होना (धारा 145-148) ➢ न्यूसेंस एवं अशांति के खतरे के अविलंबनीय मामले (धारा 144) ➢ तलाशी एवं अधिग्रहण ➢ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालयीन अवमानना, जिलाधीश/ उप जिलाधीश/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को विशिष्टत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आपराधिक मामलों के प्रशमन में भूमिका ➢ पुलिस अन्वेषण ➢ दाण्डिक आदेशिकाएं ➢ गिरफ्तारी, हिरासत एवं जमानत ➢ अपील, निर्देश तथा पुनरीक्षण धारा 97, 98, 107, 109, 110, 116, 122, 125, 133, 144, 145, 147, 151, 174, 176, 197 आदि
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1955	➢ संपूर्ण
4. आयुध अधिनियम, 1959 (केवल वे धाराएं जो रा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)	➢ धारा 25, 27 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बित करने एवं नवीनीकृत करने सबंधी धाराएं ।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 (केवल वे धाराएं जो रा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
6. मोटरयान अधिनियम, 1988 (केवल वे धाराएं जो रा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
7. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केवल वे धाराएं जो रा.प्र.से. के अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
8. पुलिस अधिनियम,1861
9. जेल नियमावली
10. विस्फोटक अधिनियम, 1884
11. प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियम और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम,1994
12. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
13. प्रतिभूतिकरण और वितीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
14. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908
15. खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957
16. मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985
17. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
18. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
19. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
20. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
21. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951
22. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रश्न पत्र - 2

(सिविल विधि एवं प्रक्रिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन)

भाग -1 सिविल विधि तथा प्रक्रिया

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केवल वे धाराएँ जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं) ।

   सामान्य अवधारणाएं - वाद के प्रकार, वाद दायर करना, वाद का स्थान

   - पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रभाव ।
   - विवाद्यकों का बंदोबस्त तथा वादों की सुनवाई।
   - न्याय-निर्णय तथा डिक्री प्रारंभिक एवं अंतिम, न्यायालय के अतंनिर्हित अधिकार ।
   - अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और अवयस्को तथा मानसिक रूप से विकृत चित व्यक्तियों द्वारा एवं उनके विरूद्ध वाद ।
   - वाद का प्रतिरक्षण ।
   - अंतर्वर्ती प्रकरण ।
   - वाद के पक्षकार-आवश्यक एवं उचित पक्षकार-अर्थ
   - अभिवचन - अर्थ, इसका संशोधन, वाद पत्र, लिखित कथन ।
   - निषेधाज्ञा ।
   - कमीशन जारी किया जाना, उपशमन, मृत्यु एवं विवाद, वाद का प्रत्याहरण करना ।
2. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम, 2005
3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
4. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951
5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 3 से 7, 43, 65, 66, 67, 69, 70,72)
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
7. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम, 2010
8. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
9. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
10. अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008
11. बाल विवाह से प्रतिषेध अधिनियम, 2006

भाग - 2 लेखा एवं वित्त

1. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015
2. मध्यप्रदेश स्विस चैलेंज नीति/नियम, 2014
3. सार्वजनिक निजी साझेदारी नियम (संविदा प्रबंधन के विशेष संदर्भ में)।
4. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता ।
5. मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्य ।
7. मध्यप्रदेश में योजना एवं बजट प्रक्रिया तथा पद्धतियों।
8. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

भाग - 3 मध्यप्रदेश स्थानीय शासन

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1961 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
3. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,1993 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों के लिए जानना बहुत आवश्यक हैं)
4. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014
5. मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम, 1998
6. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994
7. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

प्रश्न पत्र - 3

राजस्व विधि एवं प्रक्रिया- आदेश लेखन

1. राजस्व मामले में आदेश प्रारूपण/लेखन।

प्रश्न पत्र - 4

दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - आदेश लेखन

1. दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लेखन/प्रारूपण ।

प्रश्न पत्र - 5

प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

नियम - 5 के उप-नियम (5) के अनुसार ।

नोट - यह परीक्षा प्रस्तुतीकरण आधारित होगी ।

प्रश्न पत्र - 6

हिन्दी

हिन्दी प्रश्न पत्र का स्तर 10 वीं कक्षा के स्तर के समकक्ष होगा ।

नोट - उक्त पाठ्यक्रम मे किसी प्रकार का संशोधन, उपांतरण तथा आवश्यक सुधार के समस्त अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग के पास सुरक्षित होंगे ।

परिशिष्ट - ख

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर अवक्षेप

अनुक्रमांक	पद का नाम	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि	सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर शास्ति	वेतन वृद्धियों का विनियमन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक कलक्टर (भा.प्र.से.)	दो वर्ष	स्थायीकरण नहीं किया जाएगा तथा द्वितीय वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी	भा.प्र.से.(परिवीक्षा) नियमों के अधीन एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर प्रथम वेतनवृद्धि मंजूर की जाती है, तथापि द्वितीय वेतनवृद्धि उन लोगों को जिन्हें इसकी छूट प्राप्त नहीं है, हिन्दी में विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तथा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है।

2.	डिप्टी कलक्टर सीधी भर्ती	दो वर्ष	स्थायीकरण नहीं किया जाएगा तथा प्रथम वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी ।	प्रथम वेतनवृद्धि उन लोगों को जिन्हें इससे छूट प्राप्त नहीं हैं , हिन्दी की विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तथा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है।

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all instructions/ circulars issued earlier in this behalf, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for departmental examination, namely :-

RULES

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Service Departmental Examination Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions-

(a) **"Appendix"** means appendix appended to these rules;

(b) **"Department"** means the GAD;

(c) **"Departmental Examination"** means Departmental Examination as provided in rule;

(d) **"Syllabus"** means syllabus as specified in Schedule.

3. **Application-** These rules shall apply to the Assistant collectors of Indian administration Service and Deputy Collectors of State Administrative Service.

4. Date and Venue of the Departmental Examination –

(1) Departmental Examination for officers of Indian Administrative Service, Madhya Pradesh Cadre will be conducted in RCVP Noronha Academy (hereafter, to be called as Academy) of Administration just after the completion of state training.

(2) Examination for officers of State Administrative Service shall be conducted just after the completion of induction training.

(3) Departmental examination will be conducted in the Academy every year at least twice on appropriate time.

5. **Subjects of Departmental Examination -**

(a) The Departmental Examination shall be conducted in the following subjects, namely: –

(1) Administrative, Revenue, and Penal Law and Procedure.

(2) Civil Law and Procedure, Finance and Accounts and Local Government.

(3) Revenue Law and Procedure – Order Writing.

(4) Penal Law and Procedure - Order Writing.

(5) Case Studies

(6) Hindi (For Non-Hindi Speaking Officer Trainees)

Note – All such officers shall be deemed non Hindi speaking-

(i) Who has not passed matriculation or equivalent examination in Hindi medium or with Hindi as a subject or,

(ii) Whose mother tongue is not Hindi, or,

(iii) Who has not passed any of the examinations of Hindi, declared as equivalent to Matriculation.

5. **Syllabus of the Departmental Examination –**

(1) Syllabus of departmental examination has been described in appendix – A.

(2) **Case Studies** – This paper shall be based on the information provided during the training. Case studies shall be done selecting

the topic according to one's interest from the said inputs. Which shall be presented towards the end of training. Securing 50% of marks shall be compulsory in this paper. Comprehensive instructions regarding presentation shall be determined internally at the Academy. To qualify this paper shall be compulsory

Level of passing departmental examination- for passing the minimum marks to be scored are hereunder.

S.No.	Subject & Question Paper	Duration	Maximum Marks	Minimum Pass Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Administrative, Revenue and Penal Law and Procedure	03 Hours (one hour for each section)	150 Question paper shall be divided in 03 sections. Each section shall carry 50 marks	Minimum qualifying marks for each section shall be 30
2.	Civil Law and Procedure, Finance and Accounts and Local Government	03 Hours (one hour for each section)	150 Question paper shall be divided in 03 sections. Each sections shall carry 50 marks	Minimum qualifying marks for each section shall be 30
3.	Revenue Law and Procedure – Order Writing.	02 Hours	100	60
4.	Penal Law and Procedure - Order Writing.	02 Hours	100	60
5.	Case Studies	30 minutes	100	50
6.	Hindi (For Non-Hindi Speaking Officer Trainees)	One Hour	100	40

Note –

1. For the visually impaired candidates, 15 grace marks will be given in the minimum pass marks as mentioned in column no. 5, for passing departmental examination. The completely visually impaired candidates may be allowed an assistant for writing the examination, and provide necessary assistance, but such assistant should not have educational qualification equal to or more than the candidate and should not be the government servant of revenue service. Visually impaired candidate shall be given 20 minutes of extra time for each hour.
2. The govt. servants who are Law Graduates shall be exempted from section - 3 of Question Paper - 1.
3. For the candidates who are eligible for exemption from one or more sections of question paper -1 or question paper -2 under the examination conducted prior to these rules in accordance with rule -10 and rule – 5 (a), minimum pass mark shall be 60% of the maximum marks for remaining section/sections.

8. **Regulation of increments and penalties on failing for officers -** The officers who fail to qualify the papers, are subject to different penalties by the state Government occasionally. The current details regarding it, is enclosed in appendix-B, which may be amended by the Madhya Pradesh Government as and when necessary.

9. **Agency and conduct of the Departmental examination-**

(a) Examination shall be organised by Academy.

(b) Examination shall be conducted under the control of Academy.

(c) The responsibilities of getting the question papers set and printed, answer books checked and results prepared shall rest with the Administration Academy.

(d) All question papers except "Order Writing" question paper shall be prepared in both the languages English and Hindi. Order Writing question paper shall be prepared in Hindi language.

(e) The Question Paper No.1 and 2 shall be Objective Type, and rest of the question papers shall be descriptive type.

(f) The question paper of Drafting Order shall have 70 % marks for drafting parts, and 30% marks for answering the questions related to order.

(g) The entire responsibility of maintaining confidentiality in the preparation of question papers shall be that of the Academy, the Setter, the Moderator, and the Valuer.

(h) The Academy shall have the exclusive right to get the question papers moderated, amendment by the moderator.

10. **Exemption for examinations cleared prior to these rules-** There were 10 question papers in earlier examination schedule. The candidates who have passed some of these question paper shall be given exemption as described below.-

Question Papers passed in earlier scheme	The Question Paper exempted in New Scheme
Revenue Administrative Law and Procedure- 1st	Section - 1 of the Question paper -1
Revenue Administrative Law and Procedure- 2nd	Section - 2 of the Question paper-1
Revenue Law and Procedure- 3rd	Question Paper - 3
Penal Law and Procedure – 1st	Section -3 of the Question Paper -1
Penal Law and Procedure – 2nd	Question Paper -4
Civil Law and Procedure	Section -1 of the Question paper – 2
Accounts and Finance	Section -2 of the Question Paper - 2
Madhya Pradesh Local self- Govt.	Section – 3 of the Question paper -2
Case Studies	Question paper -5
Hindi (Non Hindi Speaking trainee officers)	Question paper - 6

APPENDIX – A
(Syllabus for Departmental Examination)
Paper – One
(Administrative, Revenue, and Penal Law and Procedure)

Section - 1 Administrative Law and Procedure

1.	General Book Circular	Part I-Sl. No.07, Part II Sl. No. 02,05,07,21 and 22, PART III, Sl. No.1, section II, etc.
2.	Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rules, 1965	Entire
3.	Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966	Entire
4.	Madhya Pradesh Fundamental Rules	Rule 11, 12 a, 13, 14, 18, 22, 24,50, 51, 52, 53, 54, 56, 127.

Section - 2 Revenue Law and Procedure

1.	Revenue Book Circular	Part – one full, Part two full, Part three number 04, Part four, Part six no. 03, Part six no.04, etc.
2.	Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959	2,11,27, 33, 34, 44, 47, 50, 51, 57,89, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 127, 131, 147, 165, 170, 172, 178, 222, 230, 234, 237, 239, 240, 241, 244, 247, 248, 250, etc.
3.	Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013	Complete Land Acquisition Act, 1994, Land Acquisition Resettlement and Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation Act, 2013.

Section - 3 - Penal Law and Procedure

1.	Indian Penal Code,1860 (only those Sections which are essential for SAS/IAS officers)	➢ Offence against Public Tranquility ➢ Offence against the State and Promoting Enimity etc. (Section 153 A, 153 B and 295 A). ➢ Offence affecting human body ➢ Offence against property ➢ Offence against and relating to public Servants ➢ Presenting False Evidence and Offence against Public Justice ➢ Contempt of Lawful Authority of Public servants
2.	(codc of criminal procedure 1973 Only those sections of Criminal Procedure Code, 1973, which are very essential to know, for SAS/IAS officers)	➢ Inquest ➢ Dispersal of Unlawful Assembly (Sec. 129-132 Cr. P.C.) ➢ Public nuisance- Principles and Practice ➢ Criminal Trials ➢ Security proceeding (Chapter, VIII - sec.107-124 Cr. P.C.) ➢ Disputes as to Immovable property, Breach of peace (Sec. 145-148) ➢ Urgent cases of Nuisance and Apprehended Danger (Sec, 144)

		➢ Search and seizure ➢ Contempt of Court under Cr PC, Role of District Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Executive Magistrate in compounding of Criminal cases, particularly under Cr. P.C. ➢ Police investigations ➢ Criminal process ➢ Arrest, Remand and Bail ➢ Appeal, Reference and Revision, sec. 97, 98, 107, 109, 110, 116, 122, 125, 133, 144, 145, 147, 151, 174, 176, 197, etc.
3	National Security Act,1955	Entire
4	The Arms Act, 1959 (only those sections, which are very essential to know, for SAS officers)	25, 27 and Section related to grant, suspension and revocation licence of arms.
5.	The Indian Evidence Act, 1872 (only those sections which are very essential to know, for the SAS officers)	
6.	Motor Vehicles Act, 1988 (only those sections which are very essential to know, for SAS officers)	
7.	Indian Forest Act, 1927 (only those sections which are very essential to know for SAS officers)	
8.	The Police Act, 1861.	
9.	Jail Manual	
10.	Explosive Act, 1884	
11.	Pre - Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994	

12.	Food Safety and Standards Act. 2006.
13.	Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002
14.	Stamp Registration Act, 1908,
15.	Mines And Minerals Act, 1957.
16.	Madhya Pradesh Noise Pollution Control Act, 1985
17.	The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
18.	Sexual Harassment of Working Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
19.	The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
20.	Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
21.	The Representation of Peoples Act, 1950 and 1951
22.	The conduct of Election Rules,1961

Paper – 2

(Civil Law and Procedure, Finance and Accounts and Local Government

Section 1 - Civil Law and Procedure

1. Civil Procedure Code, 1908 (only those sections which are very essential to know, for SAS officers)

General Concepts – types of suites, filing of suits, place of suit

- Appearance of party and Consequence of Non-appearance,
- Settlement of Issues and Hearing of Suits.
- Judgement and Decree-preliminary and final, Inherent powers of Court.
- Appeal, Reference, Revision and suits by and against Minor and persons of Unsound mind.
- Defending of a suit.
- Interlocutory Matters.

- Parties to a suit – Necessary and proper parties meaning.
- Pleading- Meaning, its Amendment, Plaint, Written Statement.
- Injunction
- Issue of commission, abatement, Death and disputes, withdrawal of suits.

2. Compulsory Registration of Marriages Act. 2005
3. Special Marriage Act, 1954
4. Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951
5. Information Technology Act, 2000 (Section 3 to 7, 43, 65, 66, 67, 69, 70, 72)
6. Right to Information Act, 2005
7. Madhya Pradesh Public Services Delivery Guarantee Act, 2010
8. Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961
9. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
10. Right to Free and Compulsory Education Act, 2008.
11. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

Section - 2 - Accounts and Finance

1. Madhya Pradesh Store Purchase Rules, 2015
2. Madhya Pradesh Swiss Challenge Policy/Rule, 2014.
3. Public Private Partnership Rule (with special reference to Contract Management)
4. Madhya Pradesh Treasury Code
5. Madhya Pradesh Leave Rules, 1977
6. Functions of Drawing & Disbursing Officer
7. Planning and Budget process in Madhya Pradesh and systems.
8. Delegation of Financial Powers

Section - 3 - Madhya Pradesh Local Govt.

1. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Only those Sections which are very essential to know for officers)
2. Madhya Pradesh Municipal Act, 1961 (Only those Sections which are very essential to know for officers).
3. Madhya Pradesh Panchayat and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (Only those Sections which are very essential to know for officers)
4. Madhya Pradesh Gram Panchayat (Development of Colonies) Rules, 2014.
5. Madhya Pradesh Municipalities (Registration of colonizer, terms and conditions) rules, 1998
6. Sampatti Virupan Nivesh Adhiniyam, 1994
7. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

Paper 3

Revenue Law and Procedure – Order Writing

1. Drafting/writing orders in revenue case.

Paper - 4

Penal Law and Procedure - Order Writing.

1- Writing /drafting order /judgement in penal case

Paper -5

Case Studies

As per sub rule (5) of rule 5

Note- This examination shall be presentation based.

Paper – 6

Hindi

The Level of Hindi paper shall be equivalent to that of xth standard.

Note – All right shall be reserved with General Administration Department for amendment, modification and necessary changes in the said syllabus.

Annexure B

Stricture on failing the Departmental Examination

S. No.	Name of Post	Period of passing Departmental Examination	Penalty for not passing Examination in all the Subjects	Regulation of Pay Increments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Asst. Collector (IAS)	Two Years	Not be made permanent and the second increment is to be withheld.	Under the IAS (Probation) Rules, the first increment is granted after completing one year in service. However, the second increment to them, who are not exempted, is granted only when they qualify the prescribed examination in Hindi and departmental examination in Revenue Law and Procedure and Penal Law and Procedure.
2.	Deputy Collector Direct Recruitment	Two Years	Not be made permanent and the first increment is to be withheld.	The first increment to them, who are not exempted is granted only when they qualify the prescribed examination in Hindi and departmental examination in Revenue Law and Procedure and Penal Law and Procedure.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.